न्यायालयः — अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

1

प्रकरण कमांक 98 / 2016 संस्थित दिनांक-05 / 02 / 16 फा नं 234503001032016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

/ / विरुद्ध / /

01.सुखचंद मरकाम पिता मनोहरसिंह मरकाम, उम्र—39 साल, निवासी ग्राम सिझोरा थाना गढ़ी, 02.नन्दू यादव पिता बलीराम यादव, उम्र—37 साल, निवासी ग्राम पाण्डुतला थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

.....आरोपीगण

<u>्रिः।</u> <u>दिनांक 08 / 12 / 2017) को घोषित</u>

- 01. आरोपी नन्दू यादव के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—379 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 04.01.2016 से दिनांक 05.01.2016 के मध्य समय 23:00 बजे से 01:35 बजे आर.डी. चौक गढ़ी में शासकीय संपत्ति रेत की चोरी कर शासन की सम्पत्ति को बिना बेईमानी से लेने के आशय से की तथा आरोपी सुखराम मरकाम के विरूद्ध धारा—411 के तहत यह आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए उक्त रेत चुराई हुई संपत्ति है, को बेईमानी से प्राप्त किया।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाने से हमराह स्टाफ ग्राम गस्त एवं सूचना की तस्दीक हेतु गढ़ी आर.डी. चौक की ओर रवाना हुआ था, तभी मुखबिर द्वारा मोबाईल से सूचना मिली कि एक द्रेक्टर द्वाली में अवैध रूप से रेत भरी हुई है, जो ग्राम कुकर्रा से गढ़ी तरफ जा रहा है, जिसे हमराह स्टाफ एवं गवाह अशोक अग्निहोत्री एवं अशोक यादव के घेराबंदी कर आर.डी. चौक पर पकड़े, जिनसे रेत की रॉयल्टी के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा रॉयल्टी पेश नहीं की गई। उक्त द्रेक्टर द्वाली के आरोपी सुखचंद मरकाम द्वारा अवैध रूप से शासकीय संपत्ति(रेत) की चोरी कर शासन के राजस्व की हानि करने का कृत्य धारा—379 एवं खनिज अधिनियम की धारा—18(1)18(5) म0प्र0 खनिज अवैध (खनन) (परिवहन / भण्डारण) निवारण अधिनियम, 2006 का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष

है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी नन्दू यादव ने दिनांक 04.01.2016 से दिनांक 05.01.2016 के मध्य समय 23:00 बजे से 01:35 बजे आर.डी. चौक गढ़ी में शासकीय संपत्ति रेत की चोरी कर शासन की सम्पत्ति को बिना बेईमानी से लेने के आशय से की ?
- (2) क्या आरोपी सुखचंद मरकाम ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए उक्त रेत चुराई हुई संपत्ति है, को बेईमानी से प्राप्त किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकण एक साथ किया जा रहा है।

- 05. साक्षी अशोक अग्निहोत्री(अ.सा.01) का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना माह जनवरी की आर.डी. चौक गढ़ी की है। उसे थाना गढ़ी से पुलिसवालों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गढ़ी तरफ से देक्टर द्वाली रेत भरकर आ रही है। उक्त रेत भरी द्वाली को पुलिसवालों ने उसके समक्ष पकड़ कर जप्त किया था, जिनके पास रॉयल्टी नहीं थी। उक्त जप्ती पत्रक प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रेत की कीमत 1,000 / रुपये थी। उसे द्रक का नंबर ध्यान नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। जप्तशुदा देक्टर नीले रंग का था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुखचंद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि रेत किससे जप्त की गई थी वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार देक्टर मरकाम का था। घटना शाम के समय की है, कितने बजे की है, उसे याद नहीं है।
- 06. साक्षी अशोक अग्निहोत्री(अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 के हस्ताक्षर उसने थाने में किया था, उसने अपने पुलिस कथन में देक्टर और दाली का नंबर नहीं बताया था। यदि उक्त नंबर उसके कथन में लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया कि थाने में उसने प्र.पी.01 की कार्यवाही को पढ़कर नहीं देखा था। उसे याद नहीं है कि जप्ती पत्रक में रेत की कीमत कितनी लिखी हुई थी। यह अस्वीकार किया कि वह एजेन्ट का कार्य करता है। साक्षी के अनुसार पहले करता था, अब बंद कर दिया है। यह स्वीकार किया कि थाने में उसकी पहचान है और उसे थाने में कार्यवाही हेतु बुला लेते है तथा पुलिसवालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। उसे याद नहीं है कि आरोपी सुखचंद को किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया था। यह अस्वीकार किया कि उसने देक्टर दाली

को नहीं देखा था। उसने बयान किस दिनांक को दिया था, उसे ध्यान नहीं है।

- साक्षी अशोक यादव(अ.सा.०२) का कथन है कि वह आरोपीगण को 07. नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पुछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपीगण को गिरफतार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 09.01.16 को वह आर.डी. चौक पर अशोक अग्निहोत्री के साथ खडा था, तभी थाने के साहब मिले, जिन्होंने बताया कि ग्राम कुकर्रा तरफ से गढ़ी की ओर द्रेक्टर द्राली में रेत आ रही है, जिसे मय स्टाफ के घेराबंदी कर रोका गया था और ट्रेक्टर ट्राली में रेत भरी थी और चालक सुखचंद मरकाम से रेत की रॉयल्टी पेश करने को कहा गया, तो सुखचंद मरकाम ने बोला कि रॉयल्टी नहीं है, द्रेक्टर का नम्बर एम.पी.50 / ए—2646 तथा द्वाली का नम्बर 2647 था। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुखचंद और नंदू यादव के मेमोरेन्डम कथन लेख किये थे, परंतु मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.04 व 05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुखचंद मरकाम से नीले रंग का स्वराज कंपनी का द्रेक्टर द्राली में रेत भरी हुई कुमांक एम.पी.50 / ए—2646 तथा द्वाली कुमांक 2647 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, पंरत् जप्ती पत्रक प्र.पी. 01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुखचंद मरकाम और नंदू यादव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफुतारी पत्रक प्र.पी.02 के बी से बी तथा गिरफुतारी पत्रक प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उसने पुलिसवालों के कहने पर गढी थाने में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे तथा पुलिस ने उसके समक्ष किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी और उसने किसी द्वेक्टर तथा द्राली को नहीं देखा था।
- 08. साक्षी राजीव प्रकाश गायधने(अ.सा.03) का कथन है कि वह दिनांक 05.01.2016 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कुकर्रा से गढ़ी तरफ एक ट्रेक्टर ट्रॉली अवैध रूप से रेत भरकर आ रहा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ प्रधान आरक्षक कमांक−240, 178, 1058 के साथ ग्राम गढ़ी आर.डी. चौंक पर तस्दीक हेतु रवाना हुआ था, जो नकल रोजनामचा सान्हा कमांक−3 समय 23:09 में दर्ज है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी−7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल जाकर मौंके पर घटनास्थल का मौंका−नक्शा अशोक यादव की निशानदेही पर तैयार किया था। मौंका−नक्शा प्रदर्श पी−8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और बी से बी भाग पर अशोक के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुखचंद मरकाम से एक ट्रेक्टर ट्रॉली रेत भरी हुई, जिसकी कीमत लगभग 1500 ∕ −रूपये थी, जप्त किया था। उक्त ट्रेक्टर के मुण्डा का नंबर−एम.पी−50ए−2646 है, जिसकी आर.सी. बुक एवं ट्रेक्टर ट्रॉली का नंबर−एम.पी.50ए.2647 एवं आर.सी. बुक गवाह अशोक अग्निहोत्री एवं

अशोक यादव के समक्ष जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके और डी से डी भाग पर आरोपी सुखचंद के हस्ताक्षर है।

- साक्षी राजीव प्रकाश गायधने(अ.सा.03) के अनुसार उक्त दिनांक को अशोक अग्निहोत्री एवं अशोक यादव के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुखचंद मरकाम एवं नंदू यादव को गवाहों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी.02 एवं प्रदर्श पी.06 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके और डी से डी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवारवालों को दी गई थी, जो प्रदर्श पी.08 एवं 09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुखचंद एवं नंदू यादव का मेमोरेन्डम कथन गवाहों के समक्ष उनके बताए अनुसार लेख किया था, जिसमें आरोपीगण ने द्रेक्टर द्रॉली में रेत ले जाना स्वीकार किया था, जो प्रदर्श पी.04 एवं 05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर आरोपी सुखचंद ने प्राप्त किया था। घटनास्थल से वापसी उपरांत रोजनामचा सान्हा क्रमांक-36 दिनांक 05.01.2016 समय 00:50 बजे दर्ज है, जो प्रदर्श पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आरोपी सुखचंद के विरूद्ध भा.द.ंसं. की धारा-411 बढ़ाई गई थी। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् थाना प्रभारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जो प्रदर्श पी—11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 10. साक्षी राजीव प्रकाश गायधने(अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने सुखचंद से गवाहों के समक्ष रेत से भरी द्रॉली जप्त की थी एवं उसने अशोक यादव एवं अशोक अग्निहोत्री से थाने में ही हस्ताक्षर कराए थे, प्रदर्श पी.04 एवं 05 गवाहों के समक्ष लेखबद्ध नहीं किया था, अपने मन से लेख किया था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.04 मेमोरेन्डम कथन में समय का उल्लेख नहीं है, रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी.01 में वापसी का समय रात्रि 12:50 लेख है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वापसी होने के उपरांत उसने मेमोरेन्डम कथन प्रदर्श पी.04 एवं 05 लेख किया था। साक्षी के अनुसार पहले किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने रोजनामचा सान्हा में वापसी की प्रविष्टि दर्ज नहीं की थी।
- 11. साक्षी राजीव प्रकाश गायधने(अ.सा.03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी.05 की कार्यवाही रात के 12:00 बजे की है, वापसी होने पर वापसी का सान्हा दर्ज किया था, थाने में पहुंचने के उपरांत 50 मिनट पश्चात् रोजनामचा सान्हे में वापसी दर्ज की थी, मेमोरेन्डम की कार्यवाही उसने घटनास्थल पर की थी, थाने में नहीं की थी, उसने मेमोरेन्डम की कार्यवाही थाना परिसर में नहीं किया था। साक्षी के अनुसार मेमोरेण्डम की कार्यवाही थाने में की थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वापसी 12:00 बजे होने के बाद भी रोजनामचा सान्हा में वापसी का समय दर्ज नहीं है, वापसी सान्हा में विलंब का कारण उसके द्वारा दर्शित नहीं किया गया है, उसने

उक्त रेत चोरी के स्थल के संबंध में कोई पतासाजी नहीं किया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय सुखचंद देक्टर नहीं चला रहा था, अशोक अग्निहोत्री एवं अशोक यादव ने कोई बयान नहीं दिए थे, उसने अपने मन से बयान लेखबद्ध किया था और उसने आरोपीगण को फंसाने के लिए झूठा प्रकरण तैयार किया है एवं अशोक यादव एवं अशोक अग्निहोत्री से थाने में हस्ताक्षर कराए थे।

- प्रकरण में जप्ती आरोपी सुखचंद से दर्शित की गई है तथा मात्र मेमोरेन्डम के आधार पर अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में आरोपी नन्दू यादव के विरूद्ध लेश मात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा विवेचक साक्षी राजीव गायधने अ.सा.03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने रेत चोरी के संबंध में कोई पतासाजी नहीं की। जहाँ तक प्रश्न आरोपी सुखचंद मरकाम की चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का प्रश्न है। आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह ग्राम पंचायत से अधिकृत होकर रेत परिवहन कर रहा था। आरोपी द्वारा तत्संबंध में ग्राम पंचायत की रसीद भी प्रस्तुत की गई। प्रकरण में संपत्ति चोरी किया जाना ही दर्शित नहीं है, जिससे चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी नन्द्र यादव द्वारा घटना दिनांक 04.01.2016 से दिनांक 05.01.2016 के मध्य समय 23:00 बजे से 01:35 बजे आर.डी. चौक गढ़ी में शासकीय संपत्ति रेत की चोरी कर शासन की सम्पत्ति को बिना बेईमानी से लेने के आशय से की तथा आरोपी सुखराम मरकाम द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए उक्त रेत चुराई हुई संपत्ति है, को बेईमानी से प्राप्त किया। अतः अभियुक्त नन्दू यादव को भा.दं०सं० की धारा–379 तथा आरोपी सुखचंद मरकाम को धारा–411 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति द्वेक्टर का नम्बर एम.पी.50 / ए—2646 तथा द्वाली का नम्बर 2647 वाहन स्वामी को सुपुर्दनामा पर दी गई है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात सुपुर्दगीदार के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 15. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)